न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 358/2022
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या :— 53,88 आरटीए

1. गीता देवी पत्नी सहदेव जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सीमा पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

वादीगण

बनाम

1. विनोद पुत्र स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कलवंत पुत्र स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुमन पुत्री स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया।
5. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक संगरिया।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया

—प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित

1. श्री हनुमन्त चौधरी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री भीम पारीक अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1,2,4
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया—प्रतिवादी संख्या 6

अधिवक्ता वादीया द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रजिस्टर्ड पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 14 (क) के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वाद पत्र के शीर्षक में अंकित है। तहसील संगरिया के चक 15 पी.टी.पी. के खाता संख्या 72/56 जमाबंदी संवत 2073—76 में कुल खाता 5.464 है. में से वादी संख्या 1 के नाम से 1/6 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 के नाम से 1/6 हिस्सा नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित वादीगण के नाम से दर्ज समस्त कृषि भूमि वादीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के खरीदशुदा है जिसका ईतकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है तथा जिस पर वादीगण अपने अपने हिस्सानुसार काबिज है। वादीगण के नाम दर्ज उक्त वर्णित कृषि भूमि का सहकाश्तकारान के साथ बरोज बैयनामा घरेलू विभाजन हो चुका है। मुताबिक विभाजन वादीगण को निम्न कृषि भूमि प्राप्त हुई वादीगण के ब हिस्सा बराबर कब्जा की कृषि भूमिः— चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 72/56 जमाबंदी संवत 2073—76 प.नं. 115/144 मु.नं. 21 कि.नं. 11, 12, 13, 18, 19, 20. 23/0.253 है. प्र. नहरी कृषि भूमि कि.नं. 22/0.051 है. किला नं. 23 के पश्चिमी दिशा की और किला नं. 23 के चिपती नहरी कृषि भूमि।

कुल 1.822 है. नहरी कृषि भूमि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि पर वादीगण बहिस्सा बराबर के बरोज रजिस्टर्ड बैयनामा के काबिज है तथा कब्जा काश्त बाबत किसी भी सहकाश्तकार के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं है। किंतु उक्त आराजी संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को अपनी आराजी में सिंचाई एवं सरकारी योजनाओं के अनुदार बाबत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है तथा वादीगण के कब्जा काश्त के किले वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण मन लगाकर अपनी कृषि भूमि का सुधार नहीं कर पा रहा है। इसलिये वादीगण रजिस्टर्ड बैयनामा में प्राप्त किलाजात में से एवं अन्य सहकाश्तकारान के साथ घरू विभाजन में प्राप्त किला विशेष को अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा कर अपना खाता अलग कायम करवाना चाहते है जिसके वे अधिकारी एवं दावेदार है। इस हेतु वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे भी अपना खाता अलग कायम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवा लेंवे तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करते रहे एवं पिछले सप्ताह बमुकाम किशनपुरा उतरादा में ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। बस यही बिनाय दावा है।

लिहाजा वाद वादी, मय शपथ पत्र, दो प्रतियों में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण तहसील संगरिया के चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 72/56 जमाबंदी संवत 2073–76 प.नं. 115/144 मु.नं. 21 कि.नं. 11,12,13, 18,19,20,23/0.253 है.प्र. नहरी कृषि भूमि कि.नं. 22/0.051 है. किला नंबर 23 के पश्चिमी दिशा की और किला नंबर 23 के चिपती नहरी कृषि भूमि, कुल 1.822 है. नहरी कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीगण का खाता अन्य काश्तकारान से अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम की जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी साधारण सम्मन व रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 बावजूद तामिल के उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से भीम पारीक अधिवक्ता ने वकालतनाामा पेश किया, लेकिन जवाब प्रस्तुत नही किया। प्रतिवादी संख्या 4 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया जो भाामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 गीता देवी पत्नी सहदेव की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी चक 15 पीटीपी खाता संख्या 72/56 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1 करवाई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सहकाश्तकार होना एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित होकर भी अपना कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही करने एव प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही आने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी चक 15 पीटीपी खाता संख्या 72/56 खाता गीता देवी वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से सांझा खाता में वादग्रस्त आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रश्नगत आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है। वाद पत्र में कोई विरोध नही है, इसलिए वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। अतः वाद की दफा 3 में वर्णित भूमि के संबंध में कोई विवाद नहीं होने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब दावा पेश नही किया है एवं प्रतिवादी संख्या 3 तामील के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण वादीगण का वाद–पत्र मुताबिक अनुतोश डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का पत्र डिक्री किया जाता है कि वादीगण चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 72/56 जमाबंदी संवत 2073–76 प.नं. 115/144 मु.नं. 21 कि.नं. 11,12,13, 18,19,20,23/0.253 है.प्र. नहरी कृषि भूमि कि.नं. 22/0.051 है. किला नंबर 23 के पश्चिमी दिशा की और किला नंबर 23 के चिपती नहरी कृषि भूमि, कुल 1.822 है. नहरी कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर का उक्तानुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 358/2022

1. गीता देवी पत्नी सहदेव जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. सीमा पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) वादीगण

बनाम

1. विनोद पुत्र स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. कलवंत पुत्र स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. सुमन पुत्री स्व श्री रायसिंह जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. बैंक ऑफ बड़ौदा जरिये शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा संगरिया।
5. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जरिये शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक संगरिया।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

डिक्री **दिनांक :–30.01.2023**

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री हनुमन्त चौधरी वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण भीम पारीक मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीगण में अन्तिम डिक्री दी जाती है कि वादीगण चक 15 पी.टी.पी. खाता संख्या 72/56 जमाबंदी संवत 2073–76 प.नं. 115/144 मु.नं. 21 कि.नं. 11,12,13, 18,19,20,23/0.253 है.प्र. नहरी कृषि भूमि कि.नं. 22/0.051 है. किला नंबर 23 के पश्चिमी दिशा की और किला नंबर 23 के चिपती नहरी कृषि भूमि, कुल 1.822 है. नहरी कृषि भूमि के बहिस्सा बराबर का उक्तानुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....×.....मुब्लिक.....×.....बाबत.....100/–.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....×.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया